भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171003

हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए प्रतिवेदन (संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) पर

प्रेस विज्ञप्ति

हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन [2026 की रिपोर्ट संख्या 01 (संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)] मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए वित्त विभाग, राज्य कर एवं आबकारी विभाग, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा के अनुपालन लेखापरीक्षा पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है। प्रतिवेदन 24.03.2026 को हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा गया था। प्रतिवेदन 03.09.2026 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पटल पर रखा गया है।

इस प्रतिवेदन में वित्त विभाग एवं राज्य कर एवं आबकारी विभाग की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामले सम्मिलित है। इस प्रतिवेदन में एक सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा, एक निष्पादन लेखापरीक्षा, एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय प्रदर्शन समाविष्ट है।

मुख्य निष्कर्ष:

वित्त विभाग

हिमाचल प्रदेश में ई-प्रोक्योरमेंट पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश में ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा सरकारी विभागों में कार्यान्वित डिजिटल निविदा प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही का मूल्यांकन करने के लिए की गई। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2011 में आरंभ किए गए ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम का उद्देश्य इंटरनेट आधारित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से खरीद को सुव्यवस्थित करना और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना था। यद्यपि

राज्य सरकार की अधिसूचना (जून 2018) में सभी विभागों व सरकारी निकायों को ₹ पांच लाख से अधिक की निविदाओं हेतु ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल का उपयोग करना अनिवार्य किया गया था तथापि लेखापरीक्षा में कार्यान्वयन एवं सिस्टम के उपयोग में गंभीर कमियां उजागर हुई।

लेखापरीक्षा में अप्रैल 2018 से मार्च 2023 तक की अवधि को लिया गया तथा 83 खरीद संस्थाओं में 77,152 निविदाओं से सम्बंधित डेटा का विश्लेषण किया गया। डेटा विश्लेषण, एप्लीकेशन नियंत्रण समीक्षाओं तथा मैन्युअल व ऑनलाइन रिकॉर्ड की समन्वित जांच का उपयोग करते हुए लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण कमियों को चिह्नित किया गया। विस्तृत जांच हेतु तीन जिलों, नौ विभागों, 51 इकाइयों व 783 निविदाओं का चयन करने के लिए स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण का उपयोग किया गया।

अपूर्ण कार्यान्वयन: लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन – सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) में ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम के विभिन्न मॉड्यूलों का कार्यान्वयन न होने को रेखांकित किया था। उस समय केवल एक ही मॉड्यूल—ई-टेंडरिंग ही कार्य कर रहा था। हालांकि सात वर्षोपरांत भी ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम का कार्यान्वयन केवल तीन अन्य मॉड्यूलों (विक्रेता प्रबंधन, ई-ऑक्शन व ई-पेमेंट) के आंशिक कार्यान्वयन तक ही सीमित रहा, जबकि मांग प्रबंधन, कैटलॉग प्रबंधन तथा संविदा प्रबंधन जैसे तीन मॉड्यूल कार्यान्वित नहीं किए गए (सितंबर 2024)।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ औपचारिक सेवा स्तर समझौते के अभाव तथा कोर कमेटी की अनियमित बैठकों के कारण निगरानी व प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हुई।

उप-इष्टतम उपयोग: सिस्टम की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं हो सका, क्योंकि 100 में से 16 खरीद इकाइयों—जैसे डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज, टांडा; युवा सेवा एवं खेल निदेशालय; हिमाचल प्रदेश विधानसभा; हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, आदि ने स्थापना के बाद से ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल का उपयोग नहीं किया, जबकि मार्च 2023 तक 15 अन्य इकाइयों ने 10 से भी कम संविदाए प्रकाशित कीं। इसके अतिरिक्त कई महत्वपूर्ण प्रविष्टियां ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम द्वारा स्वतः दर्ज होने के बजाय विभागीय यूजर द्वारा मैन्युअल रूप से की गईं, जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम में उपलब्ध डेटा व वास्तविक लेनदेन के मध्य असंगतियां उत्पन्न हुईं।

प्रणालीगत कमियां: इस प्लेटफ़ॉर्म में हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों तथा विभाग-विशिष्ट समयसीमाओं के अंतर्गत, बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित समय-सीमाओं की मैपिंग, न्यूनतम बोलियों की संख्या को लागू करना, तथा संविदा दर के विवरण दर्ज करना, जैसी महत्वपूर्ण कार्यात्मकताओं का अभाव था। इसके परिणामस्वरूप निविदाओं के ख़राब जीवनचक्र ट्रैकिंग, प्रक्रियागत विलम्ब और बोली प्रक्रिया समयसीमा का पालन न होना जैसी समस्याएं उत्पन्न

हुईं। डेटा की सत्यता एवं नियंत्रण संबंधी मुद्दे: अपर्याप्त इनपुट नियंत्रण के कारण, बोलीदाता का अपूर्ण विवरण, डिक्रिप्शन विफलताएं एवं असंगत निविदा चरण अपडेट होना, जैसी गलत प्रविष्टियां हुईं, जिससे लेखापरीक्षा ट्रेल्स व डेटा विश्वसनीयता से समझौता हुआ। इसके अतिरिक्त, यूजर आईडी एवं नाम के साथ डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र की उचित मैपिंग न होने के कारण डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र की कानूनी वैधता तथा बोलियों की प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

स्वचालित चेतावनी संकेतकों का अभाव: सिस्टम में विसंगतियों, प्रक्रियागत उल्लंघनों या संदेहास्पद पैटर्न के लिए वास्तविक समय पर अलर्ट, जो बहुत महत्वपूर्ण है, शामिल नहीं थे। इससे गंभीर चूकों का पता नहीं चल पाया।

प्रोजेक्ट प्रबंधन इकाई के माध्यम से प्रशिक्षण व सहायता प्रदान करने के उद्देश्यों की पूर्ति केवल आंशिक रूप से ही हो सकी। प्रशिक्षण प्रारंभिक चरण तक ही सीमित रहा था, जो दिसंबर 2011 में आयोजित किया गया, जिसमें 81 बोलीदाता व 220 विभागीय अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2018–2023 के दौरान प्रशिक्षण गतिविधियों के कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

मिलीभगत एवं बोली में हेराफेरी के संकेत: लेखापरीक्षा विश्लेषण में प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों के मजबूत संकेतों को चिह्नित किया, जिनमें शामिल हैं:

- कम समय के अंतराल में एक ही या विभागीय आईपी पतों से कई बोलियों।
- बोली में मामूली अंतर, जो रोटेशनल कार्टेल व्यवहार की ओर संकेत करता है।
- निविदा का अधिक दरों पर एवं एल1 बोलीदाता के बजाय अन्य को आवंटन किया जाना।
- सीमा-आधारित जांच से बचने के लिए निविदाओं को विभाजित करने के दृष्टांत।

ये चेतावनी संकेतक न तो सिस्टम द्वारा चिह्नित किए गए और न ही उन पर कोई कार्रवाई की गई, जो धोखाधड़ी का पता लगाने के एकीकृत उपकरणों की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार:

- सिस्टम को इस प्रकार संवर्धित करें कि वह हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम एवं विभाग-विशिष्ट खरीद समयसीमाओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कर सके, जिसमें विलम्ब की स्थिति में स्वचालित ट्रैकिंग व अलर्ट की सुविधा शामिल हो।
- इनपुट नियंत्रणों को सुदृढ़ करें ताकि गलत या अपूर्ण डेटा प्रविष्टियों को रोका जा सके तथा सभी मॉड्यूल्स में डेटा की सुसंगतता व सत्यता सुनिश्चित की जा सके।

- संभावित मिलीभगत एवं संदेहास्पद बोली पैटर्न यथा समान आईपी का उपयोग, बोली का समय परस्पर मिलना (ओवरलैप), मूल्य मिलीभगत, आवंटन दोहराव पैटर्न या असामान्य बोली व्यवहार को चिह्नित करने के लिए एल्गोरिदम विकसित करें।

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

ई-वे बिल प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी विभाग की राज्य की 16 इकाइयां हैं जो करदाताओं के अनुपालन, संवीक्षा प्रक्रिया तथा प्रेषक/प्रेषिती/परिवहनकर्ता द्वारा जारी ई-वे बिल पर की गई निवारक कार्रवाई की जांच करती हैं। लेखापरीक्षा हेतु अप्रैल 2018 से मार्च 2022 की अवधि में ई-वे बिल व्यवस्था की प्रभावशीलता के आकलन के लिए नौ इकाइयों में 52 करदाताओं के 127 ई-वे बिलों तथा विभाग की प्रवर्तन/निवारक कार्रवाइयों के 200 मामलों का नमूना चयनित किया गया।

हिमाचल प्रदेश राज्य हेतु जीएसटी के तहत ई-वे बिल प्रणाली के निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा में ई-वे बिल प्रणाली में कुछ कमियां पाई गई।

यह पाया गया कि ई-वे बिल प्रणाली कम्पोजीशन करदाताओं द्वारा माल की अंतरराज्य व राज्य के भीतर आवाजाही के बीच अंतर नहीं कर पाई तथा दोनों मामलों में ई-वे बिलों के सृजन की अनुमति दी गई। ऐसे कई उदाहरण थे जहां ई-वे बिल तो सृजित किए गए परंतु करदाताओं ने संबंधित रिटर्न अवधि के लिए शून्य जीएसटीआर-1 फ़ाइल किया तथा उनकी कर देयता का निर्वहन नहीं किया। आगे यह भी पाया गया कि ई-वे बिल उन फाइल न करने वाले करदाताओं द्वारा सृजित किए गए थे, जिनका पंजीकरण कर देयता का निपटान किए बिना ही निरस्त कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि ई-वे बिल पोर्टल पर एक ही चालान से एक से अधिक ई-वे बिल सृजित करने की अनुमति दी गई। कई मामलों में यह पाया गया कि यद्यपि करदाता ने नियमित रूप से जीएसटी रिटर्न फाइल किया, परंतु इसमें कर देयताओं का अल्प-भुगतान या भुगतान नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को ₹4.43 करोड़ की हानि हुई।

45 करदाताओं के 120 ई-वे बिलों की नमूना-जांच से ये परिलक्षित हुआ कि चार इकाइयों के नौ करदाताओं ने आवक आपूर्ति के सापेक्ष ₹335.26 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया, जबकि जीएसटीआर-2ए के अनुसार उन्हें वास्तव में केवल ₹314.92 करोड़ का आईटीसी प्राप्त करना था। इसके परिणामस्वरूप ₹20.34 करोड़ का अतिरिक्त आईटीसी प्राप्त किया गया और फलस्वरूप राजकोष को राजस्व की हानि हुई।

प्रवर्तन/निवारक गतिविधियों जैसे परिचालन तैयारी, कर अपवंचन रोधी उपायों की प्रभावशीलता तथा विभाग के भीतर तथा अंतर-विभाग समन्वय के मूल्यांकन के दौरान यह पाया गया कि विभाग ने ईडब्ल्यूबी सत्यापन के लिए समर्पित संरचना स्थापित नहीं की थी, जिससे निवारक कार्यों की दक्षता में सुधार हो सकता था।

आगे यह भी पाया गया कि विभाग में ई-वे बिल सत्यापन हेतु गश्ती वाहनों की अनुपस्थिति ने परिचालन दक्षता को प्रभावित किया हो सकता है तथा इसके परिणामस्वरूप गतिशीलता सीमित हो सकती है और ऑन-साइट सत्यापन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कुछ इकाइयों के मामले में विभाग के पास ई-वे बिल के सत्यापन के लिए विशिष्ट लक्ष्य नहीं थे।

निवारक इकाइयां वाहन के अवरोधन की योजना बनाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा तैयार की गई विश्लेषणात्मक रिपोर्टों का उपयोग नहीं कर रही थीं। इन रिपोर्टों को रिटर्न की संवीक्षा में उपयोग करने के लिए क्षेत्राधिकार अधिकारियों के साथ साझा नहीं किया गया।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण शामिल कर सकती है:

- जब कोई करदाता कम्पोजीशन उद्ग्रहण योजना के अंतर्गत अंतर-राज्य आपूर्ति के लिए ई-वे बिल का सृजन करता है तो करदाता के साथ-साथ विभागीय अधिकारी को भी सचेत करें।
- एक ही चालान/समान चालान के साथ कई ई-वे बिल के सृजन पर करदाता व विभागीय अधिकारी को सूचित करें।

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसटी भुगतान व रिटर्न दायर करने पर विभाग की निगरानी पर विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भुगतान व रिटर्न दायर करने पर विभाग की निगरानी पर विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) रिटर्न दायर करने के विभिन्न रुझानों तथा निरंतर डेटा विसंगतियों के संदर्भ में की गई थी, जिसका उद्देश्य रिटर्न दायर करने व कर भुगतान, अनुपालन की सीमा तथा अन्य विभागीय निगरानी कार्यों की निगरानी में प्रणाली की पर्याप्तता का आकलन करना था।

मुख्य रूप से यह विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा डेटा विश्लेषण पर आधारित थी, जिसमें अप्रैल 2018 और मार्च 2021 के बीच की अवधि के लिए दायर जीएसटी रिटर्न में जोखिम वाले क्षेत्रों, चेतावनी संकेतों तथा कुछ मामलों में नियम-आधारित विचलनों व तार्किक विसंगतियों को इंगित किया गया था। विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के अंतर्गत राज्य क्षेत्राधिकार

गठन के निरीक्षण कार्यों का दो स्तरों पर आंकलन करना शामिल था - डेटा स्तर पर वैश्विक डेटा प्रश्नों के माध्यम से तथा सर्कलों व जीएसटी रिटर्न के गहन विस्तृत लेखापरीक्षा के साथ कार्यात्मक स्तर पर। 2018-21 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा नमूने में सीमित लेखापरीक्षा के लिए 348 करदाताओं तथा जीएसटी रिटर्न के विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए 50 करदाताओं का चयन किया गया।

विभाग ने रिटर्न की संवीक्षा हेतु मई 2023 में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की। विभाग केवल आर्थिक आसूचना इकाई द्वारा चिह्नित जीएसटी रिटर्न्स से संबंधित विसंगतियों का ही अनुसरण कर रहा था। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की अवधि के लिए 10 सर्कलों की समीक्षा से उजागर हुआ कि रिटर्न दायर करने की निगरानी, करदाता अनुपालन जैसे सर्कलों के आवश्यक निरीक्षण कार्यों का दस्तावेजीकरण खराब था तथा मूल्यांकन के योग्य नहीं था। इस प्रकार सर्कलों के कार्य न तो पूर्ण रूप से डिजिटल थे तथा न ही व्यवस्थित तरीके से किए गए।

लेखापरीक्षा में जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित देय राशि की वसूली में अत्यधिक विलंब व कमियां पाई गईं। दस सर्कलों के अंतर्गत 256 मामलों में वर्ष 2020-21 के दौरान ₹49.56 करोड़ की वसूली हेतु फॉर्म डीआरसी-07 में मांग आदेश जारी किए गए थे। हालांकि तीन वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद विभाग द्वारा वसूली के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई प्रभावी ढंग से नहीं की गई। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 75 मामलों में केवल ₹2.09 करोड़ की राशि ही वसूल की जा सकी।

स्रोत पर कर की कटौती क्रेडिट स्वीकार करने वाले किंतु शून्य जीएसटीआर-3बी रिटर्न दायर करने वाले करदाताओं के एमआईएस डेटा के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 2020-21 के दौरान 10 सर्कलों के 323 करदाताओं ने 569 रिटर्न के माध्यम से ₹2.43 करोड़ की स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) स्वीकार की थी, जबकि उन्होंने जीएसटीआर-3बी में अपना करयोग्य टर्नओवर शून्य दिखाया था। यह ₹121.33 करोड़ के करयोग्य टर्नओवर के संभावित दमन को इंगित करता है, जिसमें (18 प्रतिशत की दर से) ₹21.84 करोड़ की अनुमानित जीएसटी देयता निहित है।

लेखापरीक्षा द्वारा चिह्नित उच्च मूल्य वाली डेटा विसंगतियों के 627 विचलनों में से विभाग ने 420 का उत्तर प्रस्तुत किया। इनमें से 272 मामले, जो कि 64.76 प्रतिशत हैं, अनुपालन संबंधी कमियों के रूप में पाए गए, जिनमें ₹590.86 करोड़ की असंगतियां (टर्नओवर सहित) परिलक्षित हुईं। ब्याज के अल्प-भुगतान/भुगतान न करना, इनपुट टैक्स क्रेडिट असंगति, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत आईटीसी की अधिक प्राप्ति और टर्नओवर की गलत घोषणाओं के मामलों में अपेक्षाकृत उच्च दर की कमियां पाई गईं। 420 मामलों में से, विभाग ने 16 मामलों में ₹3.72 करोड़ की वसूली की है और 50 मामलों में ₹69.57 करोड़ की मांग की है। इसके

अतिरिक्त, 66 मामलों में ₹318.79 करोड़ के नोटिस जारी किए गए हैं, और ₹198.78 करोड़ से जुड़े 140 मामलों में करदाताओं के साथ पत्राचार चल रहा है। विभाग ने विचलनों के 207 मामलों का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, जिनमें ₹569.67 करोड़ का चिह्नित रिस्क एक्सपोजर निहित है।

जीएसटी रिटर्न्स की विस्तृत लेखापरीक्षा से व्यापक गैर-अनुपालन परिलक्षित हुआ। सर्वप्रथम 50 करदाताओं के नमूने में से 29 मामलों में वित्तीय विवरणियों व चालान जैसे अनिवार्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए तथा अन्य 21 मामलों में केवल आंशिक अभिलेख ही प्रस्तुत किए गए, जो लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की एक गंभीर सीमा को दर्शाता है। अभिलेखों के प्रस्तुत न किए जाने या आंशिक प्रस्तुतीकरण के कारण जिन 50 मामलों की पूर्ण अथवा आंशिक लेखापरीक्षा की गई, उनमें लेखापरीक्षा में ₹690.28 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाली 19 अनुपालन कमियां पाईं। इसके मुख्य कारण अपात्र व अनियमित आईटीसी की प्राप्ति, कर निर्धारण से आपूर्तियों को बाहर रखना तथा आरसीएम के अंतर्गत कर का गलत भुगतान था।

यह अनुशंसा की जाती है कि विभाग:

- जीएसटी रिटर्न्स दायर न करने और विलंब से दायर करने के लिए जारी किए गए नोटिसों पर तुरंत कार्रवाई करने और अनुपालन के उचित अभिलेख अनुरक्षण रखने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करना चाहिए।
- कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनने वाले करदाताओं द्वारा फॉर्म आईटीसी-03 दायर करने की निगरानी करना तथा उसे लागू करना। ऐसे मामलों को चिह्नित करने तथा अनिवार्य रूप से 180 दिनों के भीतर आईटीसी के रिवर्सल को सुनिश्चित करने के लिए सर्कलों को उन्मुख किया जाना चाहिए।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय प्रदर्शन

31 मार्च 2023 तक राज्य में राज्य के कुल 30 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (दो सांविधिक निगम, 24 सरकारी कंपनियां (तीन निष्क्रिय सहित) एवं सरकार के नियंत्रणाधीन चार अन्य कंपनियां) विद्यमान थे। वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के योगदान में गिरती प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई, जो वर्ष 2021-22 के 5.47 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर वर्ष 2022-23 में 5.45 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2021-22 के राज्य के 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सापेक्ष वर्ष 2022-23 में राज्य के 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने उनकी नवीनतम वित्तीय विवरणियों के अनुसार लाभ दर्ज किया। वर्ष 2021-22 में लाभ ₹ 21.47 करोड़ से घटकर वर्ष 2022-23 में ₹ 20.21 करोड़ रह गया। लाभ में सर्वाधिक योगदान देने वाले राज्य के शीर्ष तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में हिमाचल

प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड तथा हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड शामिल थे। वर्ष 2022-23 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले राज्य के 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड) ने ₹0.36 करोड़ का लाभांश घोषित किया। राज्य के चार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को लाभांश घोषित करना अपेक्षित नहीं था तथा ₹ 14.88 करोड़ का सकल लाभ अर्जित करने वाले राज्य के आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने लाभांश घोषित/अदा नहीं किया।

वर्ष 2022-23 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार हुआ घाटा वर्ष 2021-22 के ₹498.55 करोड़ (राज्य के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम) से बढ़कर ₹604.94 करोड़ (राज्य के आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम) हो गया, जो राज्य के घाटे वाले विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों (हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड) एवं हिमाचल पथ परिवहन निगम को हानि होने के कारण था । 31 मार्च 2023 तक राज्य के 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को ₹4,985.18 करोड़ की संचित हानि हुई। इनमें से राज्य के नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नेटवर्थ का पूर्ण क्षरण हो गया, जो ऋणात्मक नेटवर्थ के रूप में परिणत हुआ।

30 सितंबर 2023 तक 27 सरकारी कंपनियों के वर्ष 2022-23 के लेखे बकाया थे। फिर भी 30 सितंबर 2023 तक किसी भी सरकारी कंपनी ने वर्ष 2022-23 के उनके लेखे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए। इन 27 सरकारी कंपनियों के 73 लेखे बकाया थे। 30 सितंबर 2023 तक दो सांविधिक निगमों के दो लेखे लंबित थे।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों सहित राज्य के चयनित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रमाणित लेखाओं की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से समीक्षा की गई। अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 की अवधि के दौरान राज्य के 19 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उनकी वित्तीय विवरणियों में कई मात्रात्मक व गुणात्मक परिवर्तन किए गए, जिससे उनके वित्तीय विवरणियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ। अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप हुआ निवल वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹150.76 करोड़ एवं परिसंपत्तियों/देयताओं पर ₹294.74 करोड़ था।

राज्य के 30 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सार्वजनिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं। इनमें से राज्य के आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करना अपेक्षित था। राज्य के केवल तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने अपेक्षित संख्या

में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की, जबकि शेष पांच ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की। वर्ष 2020-23 के दौरान राज्य के केवल तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (25 में से) ने निदेशक मंडल की न्यूनतम संख्या में अपेक्षित बैठकें आयोजित की। वार्षिक आम बैठकें आयोजित करने की अपेक्षा वाले राज्य के 24 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने वर्ष 2020-23 के दौरान कोई वार्षिक आम बैठक आयोजित नहीं की। राज्य के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से सात उद्यमों को लेखापरीक्षा समिति का गठन करना अपेक्षित था हालांकि राज्य के केवल तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने लेखापरीक्षा समिति का गठन किया। राज्य के इन तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड तथा हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने लेखापरीक्षा समिति में दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशकों का निर्धारित मानदंड पूरा नहीं किया।

राज्य के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से सात सार्वजनिक उद्यमों को अधिनियम/नियमों में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति गठित करना अपेक्षित था। हालांकि राज्य के केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड) ने इस समिति का गठन किया। राज्य के 25 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के केवल चार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित व्हिसल ब्लोअर तंत्र स्थापित किया।

राज्य के सभी पांचों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, जिन्हें कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी समिति का गठन करना अपेक्षित था, ने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी समितियों का गठन किया एवं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी नीतियों का निरूपण किया। हालांकि हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उसकी नीति में निगरानी तंत्र निर्दिष्ट नहीं किया। राज्य के तीनों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) ने उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर उनकी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी नीति, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी समिति की संरचना तथा स्वीकृत कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी प्रोजेक्ट का डिस्क्लोज़र नहीं किया, जो कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी गतिविधियों के लिए कोई वार्षिक कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी योजना एवं बजट तैयार नहीं किया था।